

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2000

सा. का. नि. 622 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 (1985 की धारा 21) की धारा 6 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एस. बी. साक्रिकर को 15 सितम्बर, 1999 (अपराह) से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के पीडितों के कल्याण के लिए समवर्ती प्रभार सहित आयुक्त के वर्तमान पद पर नियुक्त करती है। यह इस विभाग के दिनांक 18 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना सं. जी. एस. आर. 764 (अ) के क्रम में है।

> [सं. 21/27/95-भोपाल सेल] शांतनु कंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

{Department of Chemicals and petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2000

G.S.R. 622(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby appoints Justice Shri S. B. Sakrikar, sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the Victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for a further period of one year with effect on and from the 15th September 1999 (afternoon). This is in continuation of this Department's notification No. GSR 764 (E) dated the 18th December, 1998.

> [File No. 21/27/95-B.Cell] SHANTANU CONSUL, Jt. Secy

1991 GI/2000

; · ·